धनवन्तरी एम्बूलेंस योजना-108

As on Report January 2016

1.	योजना का	धनवन्तरी एम्बूलेंस योजना-108
2.	संक्षिप्त परिचय	राज्य में "इमरजेन्सी रिस्पोन्स प्रणाली" स्थापित करने हेतु इस योजना का शुभारम्भ किया गया। "108 एम्बूलेंस" योजना की घोषणा बजट उद्घोषणा 2008-2009 में धन्वन्तरी एम्बूलेंस योजना के रूप मे की गई थी। जिसे प्रारंभ में 5 एम्बूलेंस के साथ शुरू किया गया था एवं वर्तमान में 649 एम्बूलेंस राज्य के सभी 33 जिलों एवं 249 ब्लॉक/तहसीलों में कार्यरत है। यह प्रणाली एक उच्चतम तकनीक के कॉल सेन्टर उपकरण मय एम्बूलेंस तथा प्रशिक्षित इमरजेन्सी तकनीकी कर्मचारी के आधार पर संचालित की जा रही है तथा लगभग सभी एम्बूलेंस "जीपीएस सिस्टम" युक्त है जिसके संचालन के मापदण्ड निम्न है :- 1. प्रति एम्बुलेंस प्रतिदिन ट्रिप की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए इससे कम होने पर भुगतान में कटौती का प्रावधान हैं। 2. सम्पूर्ण राज्य में 24x7 परिवहन इमरजेंसी सेवा उपलब्ध करायी जानी हैं। 3. कोई भी कॉल बिना सुनी हुई नहीं होनी चाहिए चाहे न्यूनतम ट्रिप प्रतिदिन पूर्ण कर ली हो। इस सेवा के अन्तर्गत किसी भी फोन से "108" निःशुल्क टेलीफोन नम्बर डॉयल करने पर समस्त चिकित्सा उपकरणो से सुसज्जित एम्बुलेंस 20 मिनट (शहरी) से 30 मिनट (ग्रामीण) और 40 मिनट (रेगिस्तानी) में क्षेत्र में रोगी के पास पहुॅच जाती है एवं 1 घंटे से कम समय में उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। 108 इमरजेन्सी सेवा निम्नलिखित आपातकालीन अवस्थाओं में उपलब्ध है। ❖ लकवा ❖ बुखार संक्रमण (इन्फेक्शन) ❖ बेहोशी ❖ विषाक्तता (पॉइजिनिंग) ❖ मानसिक अवसाद ❖ मिर्गी / दौरे ❖ हृदय आघात ❖ एलर्जिक रिएक्शन ❖ मधुमेह ❖ मौसमी बीमारिया ❖ प्राकृतिक आपदांए ❖ जानवरों द्वारा काटा जाना बाल रोग ❖ आग से जलना ❖ नवजात सम्बन्धित समस्या ❖ आत्महत्या व आत्मघात ❖ अन्य दुर्घटनाए ❖ प्रसव पीडा व गर्भावस्था सम्बन्धित ❖ श्वास सम्बन्धित इसने अलावा गर्भावस्था तथा शिशु संबंधी किसी भी सूचना को इमरजेन्सी के रूप में

		तत्परता से लिया जाता। यह मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओ को निकटतम अस्पताल में इलाज हेतु एक नि:शुल्क परिवहन सेवा है ताकि मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के 50 अति पिछडे ब्लॉक्स/विकास खण्डों में एक-एक अतिरिक्त एम्बूलेंस प्रतिस्थापित की जा चुकी है। वर्तमान में 649 "108 एम्बूलेंस" कार्यरत है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2008-09
4.	लाभाविन्त वर्ग	राजस्थान के समस्त नागरिक
5.	पात्रता	सभी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा चाहने वाले रोगी
6.	देय सुविधायें	किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधा चाहने वाले रोगी को स्वयं की इच्छानुसार तुरन्त निकटतम अस्पताल में पहुँचाना
7.	आवेदन का तरीका	108 नम्बर पर निःशुल्क फोन द्वारा
8.	सम्पर्क सूत्र एवं सेवा प्रदाता कंपनी	परियोजना निदेशक (एनआरएचएम), द्वितीय तल, एनआरएचएम बिल्डिंग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर। जीवीके ईएमआरआई, SIHFW बिल्डिंग, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, दुरदर्शन केन्द्र, जयपुर (राज०)